विषाक्त पदार्थों से संदूषित स्थल

प्रीलिम्स के लिये:
विषाक्त पदार्थ जनित संदूषण
मेन्स के लिये:
संदूषण का नियमन

चर्चा में क्यों?

‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ (Central Pollution Control Board- CPCB) द्वारा जारी हाल ही के आँकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 324 संभावित विषाक्त पदार्थ संदूषक स्थलों में से 128 को विषाक्त और खतरनाक पदार्थों से दूषित पाया गया, जबकि 196 स्थलों के परिणामों की अभी पुष्टि की जानी है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ऐसे स्थलों की निगरानी कर रहा है तथा जिन स्थलों को दूषित पाया जाता है उनकी सफाई की व्यवस्था करता है।
- इन संदूषित स्थलों की सफाई के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुपालन ‘राष्ट्रीय हरित अधिकरण’ (National Green Tribunal- NGT) के निर्देशों के अनुसार होता है।

खतरनाक रासायनिक संदूषक: वे होते हैं जो-

- एक बड़ी आपदा का कारण बन सकते हैं।
- जो अत्यधिक विषाक्त तथा प्रदूषणकारी हैं।
- कचरा उत्पन्न करते हैं तथा जिनका सुरक्षित और पर्याप्त रूप से निपटान नहीं जा सकता है।

खतरनाक संदूषकों का आयात, खरीद एवं बिक्री, भंडारण, परिवहन, लेबलिंग, रिकॉर्ड तथा बिक्री दस्तावेज़ों का रखरखाव के माध्यम से सुरक्षित रूप से निपटान किया जाता है।

प्रमुख संदूषित स्थल:

- ऐसे संदूषित स्थलों के मामलों में पश्चिम बंगाल (27 स्थल) तथा ओडिशा (23 स्थल) शीर्ष पर हैं।
- एजेंसियों ने 6 राज्यों- केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल , मध्य प्रदेश में ऐसे 20 स्थलों की सफाई करने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या कार्ययोजना (Plan of Action) तैयार की है।

संदूषण स्थल तथा कारक:

संदूषण स्थल	**संदूषण कारक एवं कारण**
तमिलनाडु	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिगत तेल पाइपलाइनों के तेल रिसाव के कारण तेल संदूषण
एलोर (केरल)	कीटनाशक एवं भारी धातु के कारण खाड़ियों में संदूषण
रनिया (उत्तर प्रदेश)	क्रोमियम संदूषण
मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	रामगंगा नदी के तट पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का अनुचित तरीके से निपटान
कोडाइकनाल (तमिलनाडु), गंजम (ओडिशा)	मिट्टी में पारे का संदूषण

रानीपेट(तमलिनाड), लोहयिानगर (उत्तर प्रदेश)	• क्रोमयिम संदूषण

खराब रकिॉर्ड:

- स्वतंत्र संगठनों के अनुसार, रासायनकि दुर्घटनाओं से नपिटने में भारत का खराब ट्रैक रकिॉर्ड रहा है।
- 'टॉक्सकि लकि' (Toxics Link) संगठन जो कि खतरनाक अपशष्टि नपिटान की दशा में कार्य करता है, के अनुसार, वर्ष 2016-2019 के बीच औसतन प्रतमिाह चार प्रमुख रासायनकि दुर्घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जबकि अनेक दुर्घटनाओं को वधिवित दर्ज ही नहीं कयिा गया ।
- NGT द्वारा गठति एक समतिि की रपिोर्ट के अनुसार, खतरनाक अपशष्टि (Hazardous Waste- HW) प्रबंधन की दशा में अब तक तैयार की गई इन्वेंट्री (पर्याप्त संसाधन) समग्र समाधान करने में कारगर नहीं है।

संदूषण के प्रमुख कारण:

- नदी जल के भारी धातु से संदूषति होने का मुख्य कारण खनन, कबाड़ उद्योग तथा धातु सतह परषि्करण उद्योग हैं जो पर्यावरण में वभिन्नि प्रकार की ज़हरीली धातुओं को मुक्त करते हैं।
- पछिले कुछ दशकों में नदी के पानी और तलछटों में भी इन भारी धातुओं की सांद्रता तेज़ी से बढ़ी है। नदी जल संदूषण का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि तथा औद्योगकि गतविधियों में वृद्धि है।
- भारत में मौसम के आधार पर भी संदूषण के स्तर में बदलाव देखा जाता है। उदाहरण के लयि मानसून के दौरान गंगा नदी में लोहे द्वारा संदूषण अधकि देखा जाता है लेकनि गैर-मानसून अवधि के दौरान इसमें काफी गरिावट देखी जाती है।

आगे की राह:

- ऐसे उद्योग क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ रसायन एवं अपशष्टि पदार्थ चुनौतयिाँ उत्पन्न करते हैं।
- संवाद शुरू करने हेतु संबंधति उद्योग क्षेत्रों, संगठनों और समूहों को संलग्न करना।
- संकट एवं जोखमिों से नपिटने हेतु संचार सुनश्चिति करना, सुरक्षति वकिल्पों हेतु जोखमि प्रबंधन दृष्टकिोण एवं अवसरों की पहचान करने की दशा में कार्य करना होगा।

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sites-contaminated-by-toxic-substances